तब उक्त साक्षी ... के बारे में प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। यह कि प्रकरण अंतिम बहस में नियत है तथा कोई भी साक्ष्य विटनिस बॉक्स में नहीं है जब साक्षी विटनिस बॉक्स में हो तभी उसके पूर्वतन लेखबद्ध कथनों को उसे दिखाकर उसकी प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। वर्तमान में प्रकरण साक्ष्य में नियत नहीं है तथा कोई भी गवाह विटनिस बॉक्स में नहीं है जिसे दिखाकर उक्त गवाहान रामचंद्र, नंदसिंह, अमरकृष्ण की प्रतिपरीक्षा की जा सकती हो। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम में दिनांक 11.05.2026 को पेश हो।

(11-05-26)

अपर जिला न्यायाधीश,
क्रम-1, कोटा

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम-1, कोटा (राज.)

11-5-26 वकुलाए फरीकेन उप० पत्रावली वास्ते बहस अंतिम में दिनांक 18/5/26 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम-1, कोटा (राज.)

18/5/26 वकुलाए फरीकेन उप०। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम में दिनांक 22/5/26 को पेश हो। श्रीमान पीठासीन अधिकारी द्वारा आज दिनांक को कार्यभार ग्रहण किया गया है।

अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
क्रम-1 कोटा (राज.)